

गृह मंत्रालय
मांग संख्या 42
मंत्रिमंडल

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2000-2001			संशोधित 2000-2001			बजट 2001-2002		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व	...	131.07	131.07	...	141.83	141.83	...	165.91	165.91
पूंजी	...	13.93	13.93	...	13.22	13.22	...	9.37	9.37
जोड़	...	145.00	145.00	...	155.05	155.05	...	175.28	175.28
मंत्रिपरिषद									
1. वेतन	2013	...	0.62	0.62	...	0.62	0.62	...	0.64
2. यात्रा व्यय	2013	...	40.50	40.50	...	40.50	40.50	...	40.50
3. व्यय संबंधी तथा अन्य भत्ते	2013	...	1.74	1.74	...	1.88	1.88	...	1.90
4. मंत्रिमंडल सचिवालय	2013	...	12.81	12.81	...	24.04	24.04	...	36.07
5. प्रधान मंत्री का कार्यालय	2013	...	10.83	10.83	...	10.76	10.76	...	11.33
जोड़-मंत्रिपरिषद		...	66.50	66.50	...	77.80	77.80	...	90.44
सचिवालय सामान्य सेवाएं									
पुलिस									
6. विशेष सुरक्षा समूह	2055	...	63.32	63.32	...	62.90	62.90	...	74.21
	4055	...	13.93	13.93	...	13.22	13.22	...	9.37
जोड़-विशेष सुरक्षा समूह		...	77.25	77.25	...	76.12	76.12	...	83.58
अन्य प्रशासनिक सेवाएं									
7. आतिथ्य एवं मनोरंजन व्यय	2070	...	1.25	1.25	...	1.13	1.13	...	1.26
8. अन्य मदें	2070
जोड़-अन्य प्रशासनिक सेवाएं		...	1.25	1.25	...	1.13	1.13	...	1.26
कुल जोड़		...	145.00	145.00	...	155.05	155.05	...	175.28

1. इसमें केबिनेट स्तर के मंत्रियों, राज्य मंत्रियों तथा उप-मंत्रियों के वेतनों की व्यवस्था शामिल है।

2. इसमें केबिनेट स्तर के मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप-मंत्रियों द्वारा की जाने वाली यात्राओं पर होने वाले व्यय की व्यवस्था है।

3. इसमें मंत्रियों के व्यय संबंधी तथा अन्य भत्ते शामिल है।

4. इसमें मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के वेतन, यात्रा, कार्यालय स्वर्च से संबंधित व्यय शामिल है।

5. इसमें प्रधान मंत्री के कार्यालय के वेतन, यात्रा, कार्यालय स्वर्च आदि से संबंधित व्यय शामिल है।

6. इसमें भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके निकटस्थ परिवार के सदस्यों को समीपस्थ सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष सुरक्षा समूह के लिए व्यवस्था शामिल है।

7. इसमें विदेशी राष्ट्रों के मेहमानों के सरकारी आतिथ्य और मनोरंजन पर तथा उप-राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री की ओर से राष्ट्रपति भवन में किए जाने वाले सरकारी मनोरंजन पर, राष्ट्रीय दिवसों पर स्वागत, मानाभिषेक और सम्मान-पत्र समारोहों आदि के प्रस्तुतीकरण पर होने वाला व्यय शामिल है।